| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11/3/25 | पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई।<br>प्रकरण निम्न प्रकार है:-<br>वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि -<br>* पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है।<br>* प्रतिवादी क्र.1 शंकरलाल के खाते में ग्राम देवनगर उर्फ बोरनलाई में ख.नं.(1) की 2.96 Hct आराजी स्थित है। यह भूमि भूमि शंकरलाल को देवा बटा पन्ना से प्राप्त हुई थी तथा जिसका नामान्तरकरण दिनांक 22/02/1955 को तहसील द्वारा तस्दीक किया गया था।<br>* शंकरलाल जी के खाते में जो आराजी दर्ज है, वह उनकी पूर्वजों की सम्पत्ति है तथा उसमें शंकरलाल जी के पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म से ही शंकरलाल जी के समान ही अधिकार है।<br>* भूमि शंकरलाल जी के नाम दर्ज होने से शंकरलाल जी अनाधिकृत तौर पर उक्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने के प्रयास में | |

3
खण्ड अधिकारी

अधिकारी ★ ... ★

हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स

है। ...

* विवादित आराजी में कानूनन ... वादीगण का 1/10 - 1/10 तथा प्रतिवादी... का 1/10 - 1/10 हिस्सा निहित है।
* वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि न्यायालय की सहायता से विवादित आराजी में प्रत्येक का 1/10 - 1/10 अर्थात समस्त वादीगण 8/10 हिस्सा घोषित करवाकर तथा बँटवारा कराकर अपना हिस्सा अलग करवा लें।

प्रार्थना :- वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि - " वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम देवनगर की ख.सं. 1 की 2.76 हे० भूमि में प्रत्येक वादी का 1/8 - 1/8 हिस्सा घोषित किया जाकर आराजी का विभाजन किया जावे तथा वादीगण के हिस्से की कुल भूमि 8/10 हिस्सा वादीगण के अलग से नाम दर्ज किया जावे तदुपरान्त अन्य कोई भी सहायता जो प्रकरण की परिस्थितियों

उपखण्ड अधिकारी

जो उचित हो, वादीगण को दिलायी जावे।"

⇒ वादपत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

⇒ प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली है।

⇒ प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि –

* वाद में वर्णित विवादित आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 शंकरलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही बेचान कर दी गई तथा दौराने वाद दिनांक 3/x/18 को शंकरलाल की मृत्यु हो चुकी है।
* समस्त वादीगण तथा प्रतिवादी ② प्रतिवादी ① शंकरलाल के वारिसान है जो वाद में पूर्व से ही पक्षकारान है। लिहाजा प्रतिवादी ① शंकरलाल के कायम मुकामान भी रिकार्ड पर मौजूद हैं।
* वाद में वर्णित समस्त आराजी को बेचान प्रतिवादी क्रम ① शंकरलाल

अधिकारी

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| | द्वारा अपने जीवनकाल में<br>दे दिए जाने से उक्त वाद में<br>वादकारण शेष नहीं रहा है.<br>* वादकारण के अभाव में वादपत्र<br>खारिज किये जाने योग्य है.<br>* प्रतिवादी (2) औपचारिक पक्षकार<br>है जिसके वादीगण द्वारा कोई<br>रिलीफ नहीं चाही गई है. विवादित<br>आराजी में प्रतिवादी (2) का उतना<br>ही हिस्सा था, जितना कि प्रत्येक<br>वादीगण का था।<br>* चूंकि उक्त सम्पूर्ण आराजी को<br>बेचान प्रतिवादी क्रम (1) शंकरलाल<br>द्वारा अपने जीवित रहते ही कर<br>दिया गया था तथा वर्तमान में<br>कोई आराजी शंकरलाल के नाम<br>राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जिसका<br>हिस्सा वादीगण प्राप्त कर सकें।<br>* वाद में प्रतिवादी (1) से वादीगण<br>द्वारा जो रिलीफ चाही गई थी वह |

उपखण्ड अधिकारी को,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| प्रतिवादी क्र ① की मृत्यु पश्चात् समाप्त हो गई है. विवादित आराजी का पूर्व में बंटवारा हो चुका है, जिससे वादपत्र में कोई वादकारण शेष नहीं है. वाद कारण के अभाव में उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। | |
| प्रार्थना - प्रतिवादी क्र ② द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वाद कारण के अभाव में वादपत्र को खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किये जावें। | |
| ⇒ प्रतिवादी क्र ② द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O7 R11 CPC दर्ज कर वादीगण को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गए। लेकिन वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत ना करने के कारण वादीगण का जवाब का अवसर बन्द किया गया। | |
| ⇒ बहस प्रार्थनापत्र पर सुनी गई। | |

उपखण्ड अधिकारी को,

लोक न्यायालय उपखण्ड

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही |
| --- | --- |
| | ⇒ हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेज का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।<br>⇒ हमने O7 R11 CPC से सम्बन्धित मार्गदर्शन प्राप्त किया।<br>⇒ दौरान बहस अभिभाषक प्रतिवादी ② का कथन रहा है कि प्रतिवादी ① का देहान्त हो चुका है, प्रतिवादी ① द्वारा अपने जीवनकाल में ही हस्तगत समस्त आराजी का बेचान किया जा चुका है, वादीगण द्वारा किसी भी क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है, बिना क्रेता को पुनः उनके विरुद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। जिस विवादित आराजी बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था, उसका बेचान हो जाने तथा क्रेताओं को पक्षकार ना बनाने से वादकारण ही समाप्त हो गया है। वादकारण के अभाव में उक्त वाद चलने योग्य नहीं है अतः प्रार्थनापत्र |

उपखण्ड अधिकारी को।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

| | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जावे। | |
| वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O7 R11 CPC का जवाब प्रस्तुत नाकिए जाने से, प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों तथा विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी (2) द्वारा उठाये तथ्यों का वादीगण की ओर से कोई प्रतिउत्तर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। | |
| ⇒ हमारे विनम्र मत में वाद कारण की अनुपस्थिति में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O7 R11 CPC स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। | |
| ⇒ अत: प्रतिवादी क्रम (2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 17 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। | |
| ⇒ डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। | |
| ⇒ पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |
| [signature] | |